प्रेस विज्ञप्ति

24/7/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ने साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में दोषसिद्धि सुरक्षित है जिसमें आरोपी अन्य व्यक्तियों के एटीएम/बैंक खातों से अवैध निकासी/अंतरण में शामिल थे। निदेशालय ने झारखंड के जामताड़ा के निवासी प्रदीप कुमार मंडल, पिंटू मंडल, गणेश मंडल, अंकुश कुमार मंडल और संतोष मंडल नामक आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष क्रमशः 27.05.2019 और 02.09.2022 को अभियोजन शिकायत और पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। आरोपी आदतन अपराधी रहे हैं और अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के अपराधों में शामिल रहे हैं। माननीय विशेष (पीएमएलए) न्यायालय, रांची ने दिनांक 23.07.2024 के आदेश के तहत प्रत्येक आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ प्रत्येक आरोपी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई तथा 68 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की कुर्क/फ्रीज/अभिग्रहित संपत्ति जब्त कर ली गई है।

झारखंड के जामताड़ा स्थित नारायणपुर पुलिस स्टेशन द्वारा भा.दं.सं., 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत उक्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि उपरोक्त आरोपी व्यक्ति इंटरनेट और अन्य माध्यमों से बैंक ग्राहकों के मोबाइल नंबर एकत्र करते थे। इसके बाद, वे बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों की आड़ में बैंक ग्राहकों के उन मोबाइल नंबरों पर कॉल करते थे और उन्हें धोखा देते/धमकाते थे कि वे उनके एटीएम/बैंक खाते बंद कर देंगे। वे ग्राहकों के बैंक खाते के विवरण का उपयोग करके धन को आगे अंतरण के लिए आवश्यक ओटीपी उत्पन्न करते थे। इस प्रकार उत्पन्न ओटीपी को आरोपी व्यक्तियों द्वारा ग्राहकों को किए गए फोन कॉल के माध्यम से प्राप्त किया गया था। उन्होंने एकत्रित डेटा/विवरण का उपयोग उनके बैंक खातों से धन/पैसे निकालने के लिए किया और उन्हें IMPS/UPI/ई-वॉलेट जैसी विभिन्न पद्धतियों जैसे कि पेटीएम, एमपेसा, फोनपे जैसे वॉलेटआदि का उपयोग करते हुए अपने स्वयं के नामों पर जमा किए। जांच के दौरान यह भी पता चला कि उक्त आरोपी व्यक्ति उस धनराशि को अपने निजी बैंक खातों में अंतरित करते थे जिसका उपयोग आगे चल/अचल संपत्ति खरीदने में किया जाता था। इसके अलावा, वे अपने बैंक खातों से अपराध की आय भी निकालते थे जिसका उपयोग उनके दैनिक घरेलू खर्चों के साथ-साथ शानदार जीवन शैली के लिए किया जाता था। जांच के दौरान आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपराध की आय को जमा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे कई बैंक खातों की पहचान की गई और उनमें पड़ी शेष राशि को फ्रीज कर दिया गया। इसके अलावा, पीएमएलए जांच के दौरान, आरोपी व्यक्तियों के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई और कई मोबाइल फोन और बैंक खाते जो अपराध को अंजाम देने में सहायक थे, अभिग्रहित/फ्रीज कर दिए गए।

जांच के दौरान, आरोपी व्यक्तियों से कुल संचयी मूल्य लगभग 68 लाख रुपये कीमत की नकदी, बैंक खातों में शेष राशि, चार वाहन, मोबाइल फोन और तीन अचल संपत्तियां बरामद करके कुर्क/फ्रीज/अभिग्रहित की गई थीं, जो विद्वान न्याय-निर्णयन प्राधिकरण (पीएमएलए के तहत), नई दिल्ली द्वारा विधिवत रूप से पुष्टि/अनुमत की गई थी और बाद में माननीय पीएमएलए न्यायालय, रांची के समक्ष जब्ती के लिए प्रार्थना की गई थी और माननीय न्यायालय ने उक्त कुर्क/फ्रीज/अभिग्रहित की गई संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था।